सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2015/104** दायर दिनांक 26.04.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. एवज खां पुत्र अजीम खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कला तहसील डीडवाना जिला नागौर	**बनाम्**	1. मे0हनीफ खां पुत्र अजीम खां 2. अलादीन खां पुत्र अजीम खां 3. असगर खां पुत्र अजीम खां 4. शौकत अली खां पुत्र अजीम खां 5. लियाकत अली खां पुत्र अजीम खां 6. शमशेर खां दत्तक पुत्र मजीद खां 7. सरदार खां पुत्र कासम खां 8. महबूब खां दत्तक पुत्र धनू खां 9. मो0 असगर खां पुत्र छोटू खां 10. सरीफन बानों बैवा छोटू खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण सरदारपुरा कंला तहसील डीडवाना 11. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा
अन्तर्गत धारा 88.,53,व 188

उपस्थित :— पक्षकारान

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक **19.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार कि वर्तमान खेत खसरा नं. 89 रकबा 18 बीगाा 02 बिस्वा ख .न. 109 रकबा 5 बीगा 18 बिस्वा खसरा नं. 246 रकबा 16 बीगा 17 बिस्वा खसरा नं. 402 /252 रकबा 01 बीगा 15 बिस्वा कुल रकबा 42 बीगा 12 वाके सरहद सरदारपुरा कंला है। इन खसरान के 1/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी नं 1 मो. हनीफ के नाम व 3/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी अलादीन खॉ, स्व0 मजीदखॉ के स्थान पर प्रतिवादी शमशेरखॉ, प्रतिवादी असगर खॉ वादी एवज खॉ प्रतिवादी शौकत अली व प्रतिवादी लियाकत अलीखॉ के नाम दर्ज है। नकल खतौनी दावा के साथ पेश है। इसी प्रकार से खेत खसरा नं. 24 रकबा 7 बीगा 11 बिस्वा व खसरा नं. 87 रकबा 4 बीगा 02 बिस्वा कुल रकबा 11 बीगा 13 बिस्वा वाके शरहद सरदारपुरा कला है। जिनकी खातेदारी प्रतिवादी मो. हनीफ के 1/8 भाग प्रतिवादी अलादीनखॉ स्व. मजीदखॉ के स्थान पर प्रतिवादी शमशेरखॉ असगरखॉ वादी एवज खॉ प्रतिवादी लियाकत अली, प्रतिवादी शौकतखॉ 3/8 भाग दर्ज है। तथा प्रतिवादी सरदारखॉ फतू बैना कासम खां महबुब खां दत्तक

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या--2017/104
दायर दिनांक 26.01.2017 निर्णय 19.06.2017
एवज खां बनाम मो0 हनीफ खां वगैरा।

पुत्र धन्नू खां मो. असगर खां पुत्र छोटे खां सरीफन बैवा छोटे खां 1/2 भाग दर्ज है। नकल खतौनी दावा के साथ में प्रस्तुत हैं।

पक्षकारान मुकदमा हाजा के बीच उपरोक्त वाद के पद सं 1 व 2 में वर्णित सयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि का हक के मुताबिक आज तक बन्टवारा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के नही हुआ है। मगर पक्षकारान ने आपसी सहमति से हक के मुताबिक मौके पर उक्त खसरान की भूमि को अलग बान्ट रखा है, जिसके मुताबिक खेत खसरा न 89 रकबा 18 बीगा 02 बिस्वा में से हनीफखॉ के उतर का भाग व शेष दक्षिण के भाग मे से पूर्व की 1/2 भाग लियाकत अली खॉ के व पश्चिम की 1/2 भाग की असगर खॉ के बन्ट मे आई है। इसी प्रकार से खसरा नं 109 रकबा 05 बीगा 18 बिस्वा अकेले वादी के बन्ट मे आई हुई कब्जेकाश्त में है। खसरा नं 246 रकबा 16 बीगा 17 बिस्वा व 402/252 रकबा 01 बीगा 15 बिस्वा एक दूसरे के चिपते हुए है, जिनके कुल रकबा 18 बीगा 12 बिस्वा मे से उतर की 1/3 भाग की शमशेरखॉ के व इस भाग से दक्षिण की 1/3 भाग की अलादीन खॉ के व दक्षिण की खसरा नं 426 की 04 बीगा 09 बिस्वा व 402 /250 की 1 बीगा 15 बिस्वा कुल 06 बीगा 04 बिस्वा प्रतिवादी हनीफखॉ के बन्ट मे आई हुई कब्जेकाश्त की है। खसरा नं 24 रकबा 07 बीगा 11 बिस्वा मे उतर की 1/2 भाग की प्रतिवादी शौकत अली खॉ के व दक्षिण की 1/2 भाग की प्रतिवादी महूबब खॉ के है। खसरा न 87 रकबा 04 बीगा 02 बिस्वा मे से पुर्व की 02 बीगा 01 बिस्वा शोकत अली खॉ व पश्चिम की 02 बीगा 01 बिस्वा महूबब खॉ के है। मोके पर इसी प्रकार नीवें सीवें कायम है।

प्रार्थना वादी है कि वाद मे वर्णित पैतृक कब्जेकाश्त व संयुक्त खातेदारी की भूमि मे से मृतक खातेदारी फत्तू बेवा कासम खॉ का नाम हटाकर उसके स्थान पर उसके वारीश प्रतिवादी सरवरखॉ को खातेदारी घोषित किया जावे वाद के पद सं 1 व 2 मे वर्णित पैतृक कबजेकाश्त व संयुक्त खातेदारी की भूमि का वादीव प्रतिवादीगण सं 1 ता 10 के बीचबन्टवारा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के किया जाकर वाद के पद सं 4 मे दिये हुए बन्टवारा व कब्जाकाश्त के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण को उनके बन्ट की भूमि बन्ट मे दी जाकर माफिक बन्टवारा के खातेदारी अलग बमल दरामद कराई जावे।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट निम्बी कंला में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान ने इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद के अनुसार दावा डिक्री किया जावें। पक्षकारान को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। अतः दस्तावेजी साक्ष्यों व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

-:: आदेश ::-

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद सरदारपुरा कंला के खेत खसरा न 89 रकबा 18 बीगा 02 बिस्वा में से हनीफखॉ के उत्तर का भाग व शेष दक्षिण के भाग मे से पूर्व की 1/2 भाग लियाकत अली खॉ के व पश्चिम की 1/2 भाग की असगर खॉ के बन्ट मे तथा इसी प्रकार से खसरा नं 109 रकबा 05 बीगा 18 बिस्वा अकेले वादी के बन्ट मे तथा खसरा नं 246

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

रकबा 16 बीगा 17 बिस्वा व 402/252 रकबा 01 बीगा 15 बिस्वा एक दूसरे के चिपते हुए है, जिनके कुल रकबा 18 बीगा 12 बिस्वा मे से उतर की 1/3 भाग की शमशेरखॉं के व इस भाग से दक्षिण की 1/3 भाग की अलादीन खॉं के व दक्षिण की खसरा नं 426 की 04 बीगा 09 बिस्वा व 402 /250 की 1 बीगा 15 बिस्वा कुल 06 बीगा 04 बिस्वा प्रतिवादी हनीफखॉं के बन्ट मे तथा खसरा नं 24 रकबा 07 बीगा 11 बिस्वा मे उतर की 1/2 भाग की प्रतिवादी शौकत अली खॉं के व दक्षिण की 1/2 भाग की प्रतिवादी महूबब खॉं के व खसरा न 87 रकबा 04 बीगा 02 बिस्वा मे से पुर्व की 02 बीगा 01 बिस्वा शोकत अली खॉं व पश्चिम की 02 बीगा 01 बिस्वा महूबब खॉं के बाई मिटस एण्ड बाउण्डस्त बंटवारा कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प निम्बी कंला में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 8/11/17

नोट :- कोई सरहद सरदारपुरा डांगा के खसरा नं० 402/250 के स्थान पर 402/252 पढ़ा व समझा जावे तथा खसरा 426 गलत से दर्ज होने के कारण खसरा नं० 426 को इस निर्णय से डिलीट किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 4-12-17

नोट :- खसरा सं० 89 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा में से 6 बीघा 01 बिस्वा प्रतिवादी मीर हनीफ खां के उत्तरी भाग, 06 बीघा 01 बिस्वा प्रतिवादी सियासत खां रसूल दक्षिणी भाग तथा 06 बीघा दक्षिणी पश्चिमी भाग प्रतिवादी अकबर खां के हिस्से में घोषित हो जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/104

दायर दिनांक 26.04.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. एवज खां पुत्र अजीम खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कला तहसील डीडवाना जिला नागौर	बनाम्	1. मे0हनीफ खां पुत्र अजीम खां 2. अलादीन खां पुत्र अजीम खां 3. असगर खां पुत्र अजीम खां 4. शौकत अली खां पुत्र अजीम खां 5. लियाकत अली खां पुत्र अजीम खां 6. शमशेर खां दत्तक पुत्र मजीद खां 7. सरदार खां पुत्र कासम खां 8. महबूब खां दत्तक पुत्र धनू खां 9. मो0 असगर खां पुत्र छोटू खां 10. सरीफन बानों बैवा छोटू खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण सरदारपुरा कंला तहसील डीडवाना 11. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 19.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सरदारपुरा कंला के खेत खसरा न 89 रकबा 18 बीगा 02 बिस्वा में से हनीफखॉ के उतर का भाग व शेष दक्षिण के भाग मे से पूर्व की 1/2 भाग लियाकत अली खॉ के व पश्चिम की 1/2 भाग की असगर खॉ के बन्ट मे तथा इसी प्रकार से खसरा नं 109 रकबा 05 बीगा 18 बिस्वा अकेले वादी के बन्ट मे तथा खसरा नं 246 रकबा 16 बीगा 17 बिस्वा व 402/252 रकबा 01 बीगा 15 बिस्वा एक दूसरे के चिपते हुए है, जिनके कुल रकबा 18 बीगा 12 गिस्वा मे से उतर की 1/3 भाग की शमशेरखॉ के व इस भाग से दक्षिण की 1/3 भाग की अलादीन खॉ के व दक्षिण की खसरा नं 426 की 04 बीगा 09 बिस्वा व 402 /250 की 1 बीगा 15 बिस्वा कुल 06 बीगा 04 बिस्वा प्रतिवादी हनीफखॉ के बन्ट मे तथा खसरा नं 24 रकबा 07 बीगा 11 बिस्वा मे उतर की 1/2 भाग की प्रतिवादी शौकत अली खॉ के व दक्षिण की 1/2 भाग की प्रतिवादी महूबब खॉ के व खसरा न 87 रकबा 04 बीगा 02 बिस्वा मे से पुर्व की 02 बीगा 01 बिस्वा शोकत अली खॉ व पश्चिम की 02 बीगा 01 बिस्वा महूबब खॉ के बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट निम्बी कंला में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner